Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
June 2024 5(6), 2635–2640

HUMAN BEHAVIOUR CONTRIBUTING TO DOMESTIC VIOLENCE AGAINST MEN IN THE PRESENT CONTEXT: A PHENOMENOLOGICAL STUDY

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा में सहायक मानवीय व्यवहार: प्रघटनाशास्त्रीय अध्ययन

Deepika Shrivastava [1], Shweta Shukla [2]

[1] Assistant Professor-Department of Sociology, Dayanand Girls PG College, Civil Lines, Kanpur, India
[2] Assistant Professor, Department of Humanities and Social Sciences, Shri Ramswaroop Memorial University Deva Road, Lucknow, India

ABSTRACT

English: When a person makes any effort to maintain control over a person close to him. These efforts can be abusive words, threats, physical impact or mental impact. Domestic violence is experienced by those people who are controlled by their close ones, that too without their consent or it can be said that 'domestic violence' occurs between people who are in or living in a close relationship. This type of violence can take many forms. It can happen to anyone. Most of the victims of domestic violence are women. This is the general perception of people in society. But sometimes it is not easy to identify domestic violence against men.

Hindi: प्रजब कोई व्यक्ति अपने करीबी व्यक्ति पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए कोई भी प्रयास करता है। ये प्रयास अपमानजनक शब्द, धमकियां, शारीरिक प्रभाव या मानसिक रूप से प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। घरेलू हिंसा का शिकार वही लोग होते हैं जो अपने करीबियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, वो भी उनकी इच्छा के बिना या ऐसा कहा जा सकता है कि 'घरेलू हिंसा' उन लोगों के बीच होती है, जो करीबी रिश्ते में हैं या रह रहे हैं। इस प्रकार की हिंसा कई रूप ले सकती है। यह किसी के साथ भी हो सकती है। घरेलू हिंसा का अधिकतर शिकार महिलायें होती हैं। समाज में अमूमन लोगों की धारणा यही होती है। परन्तु कभी-कभी पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा को पहचानना आसान नहीं होता।

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i6.2024.5774

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

1. प्रस्तावना

जब कोई व्यक्ति अपने करीबी व्यक्ति पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए कोई भी प्रयास करता है। ये प्रयास अपमानजनक शब्द, धमकियां, शारीरिक प्रभाव या मानसिक रूप से प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। घरेलू हिंसा का शिकार वही लोग होते हैं जो अपने करीबियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, वो भी उनकी इच्छा के बिना या ऐसा कहा जा सकता है कि 'घरेलू हिंसा' उन लोगों के बीच होती है, जो करीबी रिश्ते में हैं या रह रहे हैं। इस प्रकार की हिंसा कई रूप ले सकती है। यह किसी के साथ भी हो सकती है। घरेलू हिंसा का अधिकतर शिकार महिलायें होती हैं। समाज में अमूमन लोगों की धारणा यही होती है। परन्तु कभी-कभी पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा को पहचानना आसान नहीं होता।

घरेलू हिंसा के मामलों में ज्यादातर पुरुष अपने आत्मसम्मान के कारण अपनी पत्नी की शिकायत नहीं कर पाते। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में महिलाओं के पास अपनी सुरक्षा के लिए बहुत से कानून अधिनियम हैं। परन्तु पुरुषों के पास अपनी पत्नी पर कार्यवाही करने के लिए 'घरेलू हिंसा अधिनियम' जैसा कोई कानून नहीं है।

- हरियाणा के हिसार में रहने वाले एक व्यक्ति का वजन शादी के बाद कथित तौर पर पत्नी के अत्याचार की वजह से 21 किलो घट गया इसी के आधार पर उसे हाईकोर्ट से तलाक की मंजूरी मिल गयी। (दैनिक भास्कर)
- ग्रामीण हरियाणा में 21 से 49 वर्ष की आयु के 1000 विवाहित पुरुष के एक सर्वेक्षण के अनुसार 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के दस पुरुषों में से एक ने घरेलू हिंसा का अनुभव किया है। (अंशिका अवस्थी, 2023)

इस प्रकार के मामले अब भारतीय समाज में भी बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये अब भी अविश्वसनीय है कि पुरुष भी हिंसा का शिकार होते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि पुरुषों को हमेशा से ताकतवर मामलों को सुलझाने के लिए चलाये जा रहे परामर्श केन्द्रों के विभिन्न आंकड़े इसका प्रमाण है कि पुरुष भी उत्पीड़न के शिकार होते हैं। घरेलू हिंसा से पीड़ितों की संख्या में करीब 40 फीसदी शिकायतें पुरुषों की हैं। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत भी घरेलू हिंसा की समस्या से जूझ रहा है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कठोर कानून भी बने हैं, लेकिन पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। ‘घरेलू हिंसा’ या फिर महिलाओं के साथ होने वाली ‘घरेलू हिंसा’ को लेकर न सिर्फ अक्सर बाते होती हैं, बल्कि कठोर कानून भी बने हैं। बावजूद इसके इनमें कोई कमी नहीं दिखती लेकिन इस घरेलू हिंसा का एक पक्ष यह भी है कि घरेलू हिंसा के पीड़ितों में महिलायें ही नहीं बल्कि पुरुष भी हैं, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी है कि वह न तो समाज को और न ही कानून को सुनाई पड़ती है। घरेलू हिंसा के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से निपटने के लिए आत्म-देखभाल का अभ्यास करना, सीमाएँ स्थापित करना और मुकाबला तंत्र बनाना स्व-सहायता तकनीकों आदि के उदाहरण उपलब्ध हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से पुरुषवाद एक हमें पुरुषवादी विचारधारा सोच को जन्म देती है। भारत में ही नहीं विश्व में भी पुरुषों के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा का बहुत अधिक प्रासंगिक महत्व या योगदान नहीं मिलता सभी प्रकार के समाजों में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा देखने को मिलती है, परन्तु मौजूदा या आज के वर्तमान परिवेश में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा पर अधिक ध्यान व चिंतन की महती आवश्यकता है। पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा की प्रकृति, अन्तःक्रियात्मक पक्ष एवं सामाजिक पहलुओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। इस विश्लेषण का प्रस्थान बिन्दु यह स्थापित करता है कि घरेलू हिंसा एक अन्तःक्रियात्मक तथा आत्मपरक सामाजिक प्रघटना है। ऐसे आत्मपरक आयामों को स्पष्ट करने के लिए समाजशास्त्र के व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्यों को हिंसा के अध्ययन में प्रयुक्त करने की आवश्यकता है, यह अध्ययन इसी दिशा की ओर उन्मेषित है। अध्ययन हेतु कानपुर नगर के विभिन्न वर्गों एवं समुदायों के पुरुषों के उद्देश्यपूर्ण प्रणाली से चयनित किया गया, इसलिए अध्ययन के निष्कर्षों की प्रासंगिकता नगरीय पुरुषों के लिए है।

पुरुषों के विरुद्ध हिंसा की प्रकृति, प्रतिमान एवं तीव्रता का महत्व व प्रसंग हाल के वर्षों में अत्यधिक हो गया है। गिडिन्स (1989) के अनुसार हिंसा की बात करें तो सर्वाधिक खतरनाक स्थान है, तो घर है। सांख्यिकीय दृष्टि से बाहर होने वाली हिंसा की अपेक्षा घर में शारीरिक प्रताड़ना की आवृत्ति अधिक होती है।

परिवार में सदस्य एक दूसरे को शारीरिक आघात पहुँचाने या मानसिक कष्ट देने की धमकी सामान्य रूप से देते रहते हैं। हिंसात्मक अंतःक्रियाएं परिवार का एक सामान्य पक्ष है। यहाँ पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि परिवार में पुरुषों के विरुद्ध भी हिंसा होती है लेकिन इसकी आवृत्ति कम है, और अधिकतर यह स्त्रियों द्वारा अपने बचाव व प्रतिक्रिया के रूप में होती है।

पारसन्स (1951) ने प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में अनुनय समझौता तथा बल प्रयोग का प्राथमिक समूहों में सामाजिक नियंत्रण के तरीके के रूप में किया है। यह सभी समाज के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। प्रघटनाशास्त्री अल्फ्रेडशूट्ज (1967) ने इसी को एक अंतःवैषिक संसार की संज्ञा दी है, अर्थात् कर्ता (महव) और प्रतिपक्ष (।सजमत) पारस्परिकता का एक परिप्रेक्ष्य निर्मित करते हुए एक दूसरे के आत्मगत पक्षों के साझीदार बनते हैं। वेबर (1947) के अनुसार- ‘‘राज्य शारीरिक बल के वैधानिक प्रयोग पर एकाधिकार रखता है। इस संदर्भ में संघर्ष के समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों का उल्लेख करना भी उचित होगा, समाजशास्त्रीय साहित्य में हिंसा को सर्वव्यापी सामाजिक प्रघटना के रूप में चित्रित किया गया है। (सिमेल 1955, कोजर 1956, डेहरन्डार्फ 1957)। सिमेल (1955) ने यह स्पष्ट किया है कि संघर्ष हिंसा की अनुपस्थिति में भी सम्भव होते हैं।

2. अध्ययन विधि

प्रघटनाशास्त्र विधि हूसर्ल के दर्शन और वेबर के समाजशास्त्र के संयोजन पर आधारित है। यह शूट्ज द्वारा विकसित किया गया है, बर्जर और लकमैन (1967) द्वारा लागू किया गया है। प्रघटनाशास्त्र विधि कॉम्ट और प्रत्यक्षवादियों गॉरमन (1967) के बीच बहस में निहित है। प्रघटनात्मक परिप्रेक्ष्य पर आधारित अध्ययन सांसारिक रोजमर्रा के सामाजिक जीवन के हिस्से के रूप में बातचीत को परिभाषित और अवधारणाबद्ध करना चाहिए। इस अध्ययन में घरेलू हिंसा को रोजमर्रा के घरेलू सामाजिक जीवन में एक अंतःक्रियात्मक तरीके के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार घरेलू हिंसा के दिन प्रतिदिन की घटनाओं के संदर्भ में घरेलू हिंसा का विश्लेषण करने पर जोर दिया गया है। इस अध्ययन में घरेलू हिंसा की घटनाओं की नियमितता और अधिकता की पहचान करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में यह घरेलू हिंसा को रोजमर्रा के जीवन का एक पहलू मानता है, जैसा कि आन्तरीकरण और बाहरीकरण की प्रक्रियाओं के संदर्भ में घरेलू हिंसा की जाँच करना उचित है जो आदतन, संस्थाकरण, वैधीकरण और समाजीकरण जैसी प्रक्रियाओं के संदर्भ में है। एक पद्धति के रूप में प्रघटनात्मक व्यक्तिपरक पर भी जोर देती है। सामाजिक वास्तविकता का आयाम जो चेतना अर्थ, उद्देश्य, विचार, मानसिक, औचित्य अन्तःक्रिया के बारे में ज्ञान है। इसके लिए प्रघटनाशास्त्र, स्टॉक नालेज, टिपिफिकेशन, रिफिकेशन, ब्रेकेटिंग,

सामाजिक जगत, जीव जगत, जैसी कई अवधारणाओं का उपयोग किया है। इस अध्ययन में घरेलू हिंसा की सामाजिक संरचना का विश्लेषण करने के लिए इसमें से कुछ अवधारणाओं का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन में घरेलू हिंसा का कारण और पहलुओं को समझने के लिए प्रघटनात्मक पद्धति को लागू करने का प्रयास किया गया है।

3. डाटा संग्रह करने की विधि एवं तकनीक

यह अध्ययन प्रघटनात्मक है और इसलिए यह एक प्रकार का गुणात्मक शोध है। व्यक्तिपरकता चेतना और अन्तःक्रियाओं के रूपों के अध्ययन के लिए गुणात्मक तरीकों और तकनीकी की आवश्यकता होगी। यह अध्ययन घरेलू हिंसा के आयामों से सम्बन्धित है। इस अध्ययन के लिए हमने कानपुर शहर को चुना जो कि एक औद्योगिक नगरी है। कानपुर शहर को एक महानगर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हर वर्ग के लोग रहते हैं। मुख्य रूप से सक मध्यमवर्गीय लोग इस शहर में अधिक हैं। कानपुर शहर की पृष्ठभूमि में पुरुषें पर घरेलू हिंसा का अध्ययन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा क्योंकि कानपुर शहर एक सामाजिक, प्रशासनिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक विधाओं वाला एक पुराना शहर है। अक्सर तर्क दिया जाता है कि शहरी इलाकों में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा होती है। जिसका पता नहीं चलता है जबकि दिन प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के प्रतिदिन घरेलू हिंसा में वृद्धि देखी जा रही है।

4. परिणाम

पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा, जिसे अक्सर कम रिपोर्ट किया जाता है, और गलत समझा जाता है, हानिकारक लिंग रूढ़िवादिता को कायम रखकर, स्वस्थ सम्बन्धों के विकास में बाधा डालकर और संभावित रूप से हिंसा के चक्र को जन्म देकर समाज पर नकारात्मक भाव डाल सकती है। पुरुष पीड़ितों के आसपास कलंक और पर्याप्त सहायता प्रणालियों की कमी एक ऐसा माहौल बना सकती है, जहाँ दुर्व्यवहार को बर्दाश्त किया जाता है या यहाँ तक कि उसे नजर अंदाज भी किया जाता है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये रूढ़िवादिताएँ पुरुष पीड़ितों की आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता सेवाओं की कमी में भी योगदान दे सकती है।

घरेलू हिंसा आमतौर पर महिलाओं से जोड़ा जाता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं। हालांकि पुरुषों की घरेलू हिंसा के मामलों को अक्सर अनदेखा किया जाता है जिसमे ंवह आवश्यक सहायता प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। इस शोध में पुरुषों में होने वाली घरेलू हिंसा के दौरान प्राप्त की गयी सहायता और उस सहायता के मूल्यांकन पर भी केन्द्रित है। पुरुषों पर घरेलू हिंसा के दौरान सहायता प्रदान करने वाले स्रोतों में परिवार, दोस्त, पुलिस, एन0जी0ओ0/ गैर सरकारी संगठन एवं अन्य की भूमिका क्या है? इन सेवाओं का मूल्यांकन किया गया।

घरेलू हिंसा के किये गये शोध में पाया गया दोस्त सबसे प्रमुख सहायता स्रोत के रूप् में (27 प्रतिशत) जबकि अन्य स्रोत की भूमिका उत्तम या अच्छा मूल्यांकन में सबसे कम है परिवार की भी प्रमुख भूमिका सहायता स्रोत में (24 प्रतिशत) देखी गयी। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के (22) पीड़ितों के मामलों में अच्छा देखा गया वहीं पर पुलिस सहायता से केवल 10 मामलों में पुलिस सहायता को उत्तम पाया गया और 12 मामलों में पुलिस से कोई सम्पर्क नहीं किया।

तालिका

घरेलू हिंसा से प्राप्त सहायता और सहायता का मूल्यांकन

	उत्तम	अच्छा	खराब	निश्चित नहीं	कोई संपर्क नहीं
परिवार	24	12	02	02	01
दोस्त	27	09	02	01	01
पुलिस	10	04	03	01	12
एजीओ/गैर सरकारी संगठन	05	25	11	15	57
अन्य	01	01	01	09	18
योग	67	50	19	33	89
प्रतिशत	25.97	19.38	7.36	12.79	34.50

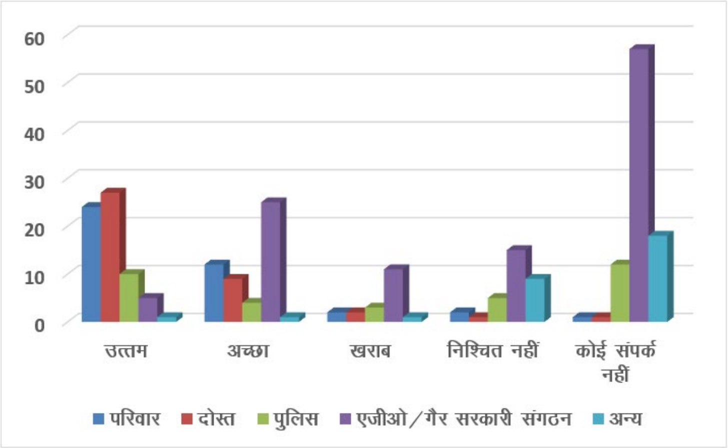

- समीरात्मज मिश्र (2020) के अनुसार भारत में अभी तक ऐसा कोई सरकारी अध्ययन या सर्वेक्षण नहीं हुआ है जिससे इस बात का पता लग सके कि घरेलू हिंसा में शिकार पुरुषों की संख्या कितनी है, लेकिन कुछ गैर सरकारी संस्थान इस दिशा में जरूर काम कर रहे हैं, 'सेव इण्डियन फैमिली फाउण्डेशन' और 'माई नेशन' नाम की गैर सरकारी संस्थाओं में एक है।
- अजय कुमार (2019) घरेलू हिंसा को पुरुषों के साथ भेदभाव वाला बताते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने समानता के अधिकार के प्रावधान को लागू करने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया। हरियाणा पंजाब और चण्डीगढ़ के घरेलू हिंसा के मामलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट का फैसला है कि जहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून मौजूद हैं, वहीं पर जहाँ समानता की बात है, वहाँ पर पुरुषों को समान अधिकार देने का संकलप 1981 में सभी राज्यों को लिया गया था लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।
- राजश्री गांगुली (2014) के अनुसार एन0जी0ओ0: सेव इण्डियन फैमिली ने भोपाल में भोपाल अगेन्स्ट जस्टिस (भाई) नाम से अपनी एक ब्रांच 2014 से काम कर रही है। क्योंकि उत्पीड़न सिर्फ महिलाओं का ही नहीं पुरुषों का भी होता है। इसका जीता जागता उदाहरण एक एन0जी0ओ0 जो प्रताड़ित पुरुषों का मार्गदर्शन करता है।
- राजनसैनी (2018) के द्वारा ऐसा ही एक संगठन चण्डीगढ़ में है, जो सिर्फ पुरुषों के अधिकारों की बात करता है। इस संगठन का नाम 'सेव इण्डिया फैमिली' है। जिसकी नींव साल 2009 में पड़ी थी। इस संगठन का मकसद सिर्फ महिला और पुरुषों के अधिकार एवं न्याय एक समान हों।

उपरोक्त तालिका और उदाहरण यह दर्शाते हैं कि घरेलू हिंसा के मामलों में सबसे पहले भावनात्मक और सामाजिक समर्थन के लिए परिवार और दोस्तों पर भरोसा किया गया। वहीं पर पुलिस के प्रति झिझक और विश्वास की इंगित की गयी। हालांकि 57 पीड़ितों के साथ कोई सम्पर्क नहीं किया, जो जागरूकता की कमी और पहुँच से समस्या दिख्शाता है। अन्य स्रोतों की भूमिका की भी निम्नतम उपयोगिता दिखायी देती है। यह स्पष्ट है कि पुरुषों में घरेलू हिंसा गंभीर समस्या है लेकिन इससे निपटने के लिए सहायता प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। लेकिन कानूनी और गैर सरकारी समर्थन में सुधारों की आवश्यकता है।

5. निष्कर्ष

भारत में महिलाओं के अलावा पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार बनते हैं। इसके साथ-साथ यह स्थिति धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। पुरुषों के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा का कारण पत्नियों की बात न मानना एवं उनकी अनचाही माँगों को पूरा न करना, आय का कम होना, घर के कामों में महिलाओं का साथ न देना, पुरुषों का शारीरिक रूप से कमजोर होना आदि। पुरुषों पर होने वाले दहेज जैसे ज्यादातर मामले झूठे होते हैं। लेकिन इन झूठे मामलों से परेशान होकर करीब 64,000 शारीशुदा युवक हर साल खुदकुशी कर रहे हैं। वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति ने तेजी से करवट ली है। वह उतनी तेजी से उसने अपनी उड़ान भरी है और उनकी यह स्थिति यह दर्शाती है कि आज का दौर महिला सशक्तिकरण का युग है। समाज के बदलते दौर में महिलायें उच्च स्थानों को प्राप्त किया है या यूँ कहें कि स्वतंत्रता के प्श्चात् वह पुरुषों के बराबरी पर पहुँच चुकी हैं। आज वह आत्मनिर्भर है इसलिए किसी तरह का समझौता करने में नकारती हैं। यह झूठ नहीं होगा कि सदियों से महिलाओं को दोयम दर्जे का प्राणी समझा जाता था। इसके साथ महिलाओं ने प्रताड़ना भी कम नहीं सही उनके बचाव के लिए कई अनगिनत कानून भी बने पर उन कानूनों का दुरुपयोग भी बहुत हुए। भारत में आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से पुरुष विरोधी लहर चली। भारत में आज महिला आयोग है लेकिन पुरुष आयोग नहीं। हर कानून की एक ही दलील

होती है और वो ये है कि यह समाज पुरुष प्रधान है। सदियों से महिलायें प्रताड़ित होती आयी हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक तरफ हम समानता की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर ये कैसा पुरुष प्रधान देश है जहाँ आजादी के बाद से एक भी योजना पुरुषों के लिये आज तक नहीं बनायी गयी।

घरेलू हिंसा पर किये गये शोध में यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे समाज में घरेलू हिंसा की घटनायें कम की जा सकती हैं या उनको रोका जा सकता है। अगर हमारा समाज पीड़ित व्यक्ति का मूल्यांकन कर उसका सही समाधान प्रदान करता है। यह समाज के वे लोग जो पीड़ित व्यक्ति का परिवार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पुलिस, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन व अन्य इनमें से कोई भी हो सकता है, जो समाज में घरेलू हिंसा का समाधान या सहायता प्रदान हो, जिससे समाज में पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा का प्रतिशत बढ़ रहा है। उस सामाजिक सहायता से उसको रोका जा सकता है।

आज ऐसे कई पुरुष जेल में हैं जो पत्नी प्रताड़ित हैं, लेकिन कानून के एकतरफा नजरिया और समाज में बदनामी के डर की वजह से वे घरेलू अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, कई तो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। पुरुष आयोग की मांग का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बनाये गये कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। समाज के डर से वे अपने मन की बात आसानी से किसी को सुना भी नहीं सकते यदि वह आत्महत्या नहीं भी करते तो भी वे हृदयाघात की जद में हमेशा रहते हैं। इसके बावजूद भी पुरुषों की व्यथा को अनदेखा किया और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गयी तो एक स्वस्थ परिवार एवं समाज के लिए यह खतरे की घंटी है या यूँ कहिये जिस तरह स्त्री और पुरुष समाज व घर-परिवार के दो पहिये हैं दोनों में से कोई एक भी पीड़ित या प्रताड़ित है, एक दूसरे के द्वारा तो कार्लमाक्र्स की 'वर्ग संघर्ष' की अवधारणा की तरह किसी एक वर्ग की समाप्ति होगी और हमारी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं होगी।

6. सांराश

दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत भी घरेलू हिंसा की समस्या से जूझ रहा है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कठोर कानून भी बने हैं। लेकिन पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। घरेलू हिंसा या फिर महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को लेकर न सिर्फ अक्सर बातें होती हैं। बल्कि कठोर कानून भी बने हैं बावजूद इसके इनमें कोई कमी नहीं दिखती, लेकिन इस घरेलू हिंसा का एक पक्ष यह भी है कि घरेलू हिंसा के पीड़ितों में महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी हैं, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी है कि वह न तो समाज को और न ही कानून को सुनाई पड़ती है। हम समाज के आधे हिस्से को दबाकर कैसा विकास करेंगे। आज के बदलते परिवेश में ये बात फसाना सरीखी है कि स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिये हैं और ये समाज भी तभी चल सकता है जब ये दोनों पहिये सुचारू ढंग से काम करे। आज जहाँ एक तरफ महिलाओं पर शारीरिक, मानसिक हिंसा हो रही है तो वहीं दूसरी ओर पुरुष भी इसका शिकार है। वर्तमान दौर में हम जिस सांचे में ढल चुके हैं तो समाज के लिए सही नहीं है। शारीरिक एवं मानसिक घरेलू हिंसा का शिकार होने के लिए महिला या पुरुष होना जरूरी नहीं है। यह घरेलू हिंसा किसी के साथ एवं किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ कहीं भी हो सकती है। अब समाज में लोगों का यही मानना है कि ये महिलाओं के साथ ही हुआ है, और यह घरेलू हिंसा उनके साथ पुरुषों द्वारा की गयी। परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। बदलते दौर में अब लोगों व समाज को यह भी स्वीकार करना होगा कि घरेलू हिंसा की शिकार केवल महिलाएं नहीं हैं, यह बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि पुरुषों पर होने वाली घरेलू हिंसा एक बड़ी गम्भीर समस्या का रूप न ले ले। यह बात समाज व कानून के समक्ष आये तब तक बहुत देर न हो जाए।

पुरुषों पर होने वाली घरेलू हिंसा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनको सहायता की आवश्यकता है। वह सहायता जो समाज से मिलनी चाहिए या मिलने लगी है जो कि परिवार के सदस्य के द्वारा दोस्तों के द्वारा प्राप्त होने लगी है। शोधार्थी ने परिवार के सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। उसी क्रम में पुलिस भी एक सहायक मित्र का काम करती है, अन्य गैर सरकारी संस्थान एन0जी0ओ0 भी समाज में घरेलू हिंसा जागरूकता व सहायता प्रदान करते हैं।

वैसे तो अब न्यायालय व समाज के सामने उजागर होने लगे हैं, न्यायाधीश भी ऐसे आरोपों को गम्भीरता व बारीकी से अवलोकन करने लगे हैं कि हर आरोप में पुरुष ही गलत नहीं होते हैं, पत्नी भी होती है। समाज में अनेक ऐसे घरेलू व सामाजिक घटनाओं के कारण पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, वे भी पीड़ित हैं, उनके साथ भी दुव्र्यवहार हो रहा है। इन्हें भी आयोग की आवश्यकता है, तथा कानून में परिवर्तन की महती आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

आहूजा राम, 1987, क्राइम अगेन्स्ट वीमन, जयपुर: रावत पब्लिकेशन।
एलेक्जेण्डर, जंफ्रीसी (म्क) 1985, नियो फंक्शनलिज्म, सेज पब्लिकेशन, लंदन।
बर्जर, पी. एण्ड टीत्र लकमैन 1966, द सोशल कन्स्ट्रक्शन आॅफ रियलिटी गार्डेन सिटी, डबलडे।
चैहान, बी.आर. 1967, ए राजस्थान विपेज, नई दिल्ली, विन पब्लिकेशन्स हाउस।
कोजर, लेविस, 1956, द फंक्शन्स आॅफ सोशल कान्फिलक्ट, लंदन आर0 के0पी0।
डेहरन्डार्फ, राल्फ 1958, क्लास एण्ड क्लास कान्फिलिक्ट इन एण्ड इण्डस्ट्रियल सोसाइटी लंदन आरकेपील

माव्र्स, कार्ल 1952, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, मास्को प्रोगे्रस पब्लिकेशंस|

Garfinkel, H. 1967. Studies in Ethnomethodology, Englewood : Prentice Hall.
Husserl, E. 1969, Ideas. Netherlands : Kluwer Academic Publishers.
Weber, M. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. New York : The Free Press.
William, Goode 1971. A Sociological Perspective on Marital Dissociation in Anderson (ed).

हिमांशु झा, 2023, हिन्दुस्तान

सुभाष इन्दु (2017)

दैनिक जागरण (2023)

हिन्दी विवेक: मर्द का दर्द ¼hindivivek.org½

अंशिका तिवारी (2023)